


बिहार सरकार  
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

कार्यालय आदेश

का0आ0 सं0-1/एल0-1-1025/2017..... 37..... /पटना/दिनांक- 18.12.2017


लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालय में कार्यरत क्षेत्रीय मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता (असैनिक/यांत्रिक)/सभी कार्यपालक अभियंता (असैनिक/यांत्रिक) को एतद् संबंधी पूर्व के आदेशों को निरस्त करते हुए आदेशित किया जाता है कि अपने आकस्मिक अवकाश तथा मुख्यालय छोड़ने की अनुमति विभागीय अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव से प्राप्त करेंगे। अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव के अलावे किसी अन्य पदाधिकारियों द्वारा उक्त पदाधिकारियों के आकस्मिक अवकाश तथा मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

2. कार्यपालक अभियंता संबंधित जिलाधिकारी को सूचना देकर ही मुख्यालय छोड़ेंगे।
3. उक्त पदाधिकारियों के आकस्मिक अवकाश से संबंधित अवकाश लेखा का संधारण अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव के कार्यालय द्वारा किया जाएगा।
4. यह आदेश दिनांक-01.01.2018 के प्रभाव से लागू होगा।

  
(विनय कुमार)  
सचिव


ज्ञापांक-1/एल-1-1025/2017 782 /पटना, दिनांक- 18.12.2017

प्रतिलिपि:-अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव/सभी जिला पदाधिकारी/क्षेत्रीय मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता (असैनिक/यांत्रिक)/सभी कार्यपालक अभियंता (असैनिक/यांत्रिक)/विभागीय आई0टी0 मैनेजर को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
(विनय कुमार)  
सचिव

ज्ञापांक-1/एल-1-1025/2017 782 /पटना, दिनांक- 18.12.2017

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार के आप्त सचिव/सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

  
(विनय कुमार)  
सचिव  
दिनांक 18/12/17